



एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564



आरटीआई अनुभाग, मानव संसाधन विभाग
RTI Cell, Human Resource Division
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) 121003
NHPC Office Complex, Sector-33,
Faridabad (Haryana) 121003
फोन/Phone: 0129-2256044
ईमेल/Email: nhpc-rti@nhpc.nic.in

संदर्भ सं./Ref. No.: एनएच/आरटीआई/E-00414/2025/ 3 6 7 9

दिनांक: Date: 14/10/2025

ONLINE

प्रेषित:

Sh Sunil Kumar Rao,
Arjunpur, Nibi Gaharwar,
Mirzapur, UP

विषय: "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत सूचना (आवदेन सं: E-00414/2025).

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवदेन पत्र, दिनांक 26/09/2025 का संदर्भ ग्रहण करें।

"सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" की धारा 5(5) के अंतर्गत एनएचपीसी के संबंधित विभाग/ परियोजना के डीमड लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त हो गयी है जो अनुलग्नक 'क' के अनुसार है।

यदि आपके द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार दी गई सूचना/उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के धारा-19 के अंतर्गत संस्था के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संदीप कुमार (कार्यपालक निदेशक),
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,
फरीदाबाद -121003 (हरियाणा)
Email: nhpc-rti@nhpc.nic.in

सलग्नक: (01 पेज)

भवदीय

(दीपक कुमार गौतम)
महाप्रबन्धक (मा.सं.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Power Behind Green Power

अनुलग्नक-क


RTI Application of Sh Sunil Kumar Rao

RTI Application No E-414/2025

प्रश्न संख्या	उत्तर
1	06 applications have been received for apprenticeship for Stenographer and Secretarial Assistant (Hindi) at Corporate Office, Faridabad.
2	Desired information does not fall under clause 2 (f) of the RTI Act, 2005. Applicant is advised to visit our website regularly for update in this regard.
3	Kindly refer to the notifications published on NHPC website.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



यह दस्तावेज आर टी आई अधिनियम के तहत
रखी किया जा रहा है। पृष्ठ सं.....
This document is being released
under RTI act. Page No. ①.....